

## प्रस्ताव 41

विधानसभा के 2013-2014 के नियमित सत्र (अध्याय 727, 2013 के कानून) के बिल 639 द्वारा प्रस्तावित कानून California संविधान के अनुच्छेद XVI के प्रावधानों के अनुसार लोगों के लिए प्रस्तुत है।

इस प्रस्तावित कानून में सैन्य और सेवानिवृत्त सैनिक संहिता में धारार्यें जोड़ी गयी हैं; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नये प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नये हैं, तिरछे टाइप में छापे गये हैं।

### प्रस्तावित कानून

खंड 1. सैन्य और सेवानिवृत्त सैनिक संहिता के डिविजन 4 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 5y (धारा 998.540 से शुरू होकर) जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पड़ा जाये:

अनुच्छेद 5y. *वेटर्स हाउसिंग एंड होमलेस प्रिवेंशन बॉण्ड ऐक्ट ऑफ 2014*

998.540. इस अनुच्छेद को *वेटर्स हाउसिंग एंड होमलेस प्रिवेंशन बॉण्ड ऐक्ट ऑफ 2014* के रूप में जाना जायेगा और इसी रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

998.541. (a) *California* लगभग दो मिलियन सेवानिवृत्त सैनिकों का ठिकाना है, जो राष्ट्र में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हैं, और ईराक व अफगानिस्तान में युद्ध बंद हो जाने के साथ, अभूतपूर्व संख्या में *California* के सेवानिवृत्त सैनिक हमारे समुदायों में वापस लौटेंगे, जिनमें से बहुतों को आवास, रोजगार, मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवा सम्बन्धी उपचार, और भौतिक पुनर्वास की ज़रूरत होगी।

(b) दुर्भाग्यवश, *California* बेघर सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या में भी अग्रणी है, राष्ट्र के बेघर सेवानिवृत्त सैनिकों में से लगभग 25 प्रतिशत *California* में रहते हैं, लगभग 19,000 सेवानिवृत्त सैनिक। *California* रिसर्च ब्यूरो के अनुसार, बेघर सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या के संदर्भ में *Los Angeles* पहले नम्बर पर है, उसके बाद *San Diego* क्षेत्र तीसरे नम्बर पर, और *San Francisco* खाड़ी क्षेत्र नौवें नम्बर पर आता है।

(c) इसके अलावा, राष्ट्र के बेघर सेवानिवृत्त सैनिकों की आबादी की सूरत बदल रही है क्योंकि और अधिक *OIF/OEF* सेवानिवृत्त सैनिक खुद को बेघरी की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ पाते हैं और, तेजी के साथ, महिला सेवानिवृत्त सैनिक और उनके बच्चे अधिक से अधिक संख्या में बेघर सेवानिवृत्त सैनिकों की जनसांख्यिकी में शामिल हो रहे हैं।

(d) मानसिक आघात के तनाव से उत्पन्न विकार, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, और बेरोजगारी, और साथ ही हमारी महिला सेवानिवृत्त सैनिकों के द्वारा अनुभव किये गये यौन आघात की घटनाओं की उच्च दर होने से, ये सभी अक्सर, अपनी ज़िंदगियों को स्थिर करने के लिए बिना उचित सेवायें प्राप्त किये, गैरअनुपातिक रूप से सेवाओं का इस्तेमाल करके उन्हें समाप्त करके हमारी जेलों, अस्पतालों, और उपचार कार्यक्रमों में अंदर-बाहर होते रहते हैं।

(e) विधानमंडल को हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों की आवासीय ज़रूरतों का जवाब देने के लिए एक व्यापक, समंजित, और लागत-प्रभावी दृष्टिकोण आगे लाना चाहिये। ऐसे दृष्टिकोण को सार्वजनिक और निजी संसाधनों का लाभ उठाना चाहिये और साथ ही आवास और सेवाओं को भी इकट्ठा करना चाहिये।

(f) पाँच वर्ष पहले, *California* वासियों ने *CalVet* गृह ऋण कार्यक्रम

के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों की विशिष्ट रूप से एकल परिवार के घर, फार्म, और मोबाइलहोम खरीदने में मदद करने के उद्देश्य से नौ सौ मिलियन डॉलर (\$900,000,000) राशि के सामान्य दायित्व बॉण्ड के, प्रस्ताव 12 को मंजूरी देकर हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता की जबरदस्त ढंग से पुष्टि की।

(g) राष्ट्र के आर्थिक संकट और राज्य में मकानों की बिक्री तथा साथ ही हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों की बदलती हुई जनसांख्यिकी के परिणामस्वरूप, प्रस्ताव 12, के रूप में पारित फार्म एंड होम लोन प्रोग्राम पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। इसके पारित होने के बाद से पाँच वर्षों तक, पूरी नौ सौ मिलियन डॉलर (\$900,000,000) की राशि अव्ययित बची हुई है जैसे प्रस्ताव 32 से पाँच सौ मिलियन डॉलर (\$500,000,000), जिसे मतदाताओं के द्वारा 2000 में पारित किया गया था, का एक हिस्सा बचा हुआ है।

(h) इस बीच, सेवानिवृत्त सैनिकों की ऐसे बहुपरिवार आवास की ज़रूरत, जो किफायती, सहयोगात्मक, परिवर्ती हो, अपूरित बनी हुई है और इन उद्देश्यों के लिए उपलब्ध सार्वजनिक और निजी संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है।

(i) *California* के मतदाताओं को सेवानिवृत्त सैनिकों की वर्तमान आबादी की आवासीय ज़रूरतों और साथ ही उनकी बदलती हुई जनसांख्यिकी का बेहतर जवाब देने के लिए प्रस्ताव 12 *वेटर्स बॉण्ड प्रोग्राम* को पुनर्गठित करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

(j) *वेटर्स हाउसिंग एंड होमलेस प्रिवेंशन बॉण्ड ऐक्ट ऑफ 2014* सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बहुपरिवार आवास के निर्माण और पुनर्वास के लिए अनुमति देने और ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने के लिए जिनमें आवास के साथ सेवायें भी जुड़ी हों प्रस्ताव 12 की मौजूदा बॉण्ड धनराशियों में से छह सौ मिलियन डॉलर (\$600,000,000) को पुनर्गठित करेगा। बॉण्ड धनराशियों का यह पुनर्गठन कर देने के बाद भी, ऐक्ट अभी भी मौजूदा *CalVet* फार्म एंड होम लोन प्रोग्राम के लिए आधा मिलियन डॉलर से अधिक की राशि संरक्षित रखता है।

(k) *वेटर्स हाउसिंग एंड होमलेस प्रिवेंशन बॉण्ड ऐक्ट ऑफ 2014* सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए सेवा विकल्पों को विस्तार देगा, लागत-प्रभावी ढंग में सार्वजनिक पैसे का लाभ उठायेगा, बेघर सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या और उससे सम्बन्धित लागतों को घटायेगा, और सेवानिवृत्त सैनिकों की बेघरी खत्म करने के हमारे राष्ट्र के प्रयासों में 2015 तक *California* को सबसे आगे ले आयेगा।

998.542. (a) राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के डिविजन 4 के भाग 3 का अध्याय 4) (धारा 16720 से शुरू होकर), समय-समय पर यथा संशोधित, सिवाय उसमें अन्यथा प्रदत्त प्रावधानों के, इस अनुच्छेद के द्वारा जारी किये जाने के लिए अधिकृत बॉण्ड, के निर्गमन, बिक्री, और उसके पुनर्भूगतान, तथा उससे सम्बन्धित अन्यथा प्रावधानों के उद्देश्य के लिए स्वीकार किया जाता है, और उस कानून के प्रावधान इस अनुच्छेद में शामिल हैं मानो उन्हें इस अनुच्छेद में पूरा बताया गया हो। "इस स्थान पर" इस अनुच्छेद में सभी संदर्भ इस अनुच्छेद और उस कानून से सम्बन्ध रखते हैं।

(b) राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून के उद्देश्यों के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ *वेटर्स अफेयर्स* को बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ *वेटर्स अफेयर्स*, *California* आवास वित्त एजेंसी और आवास एवं सामुदायिक विकास विभाग के परामर्श से बोर्ड के कर्तव्य पूरे करेगा।

998.543. इसमें प्रयोग किये गये अनुसार, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं:

(a) "बोर्ड" का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ़ वेटर्स अफेयर्स (सेवानिवृत्त सैनिकों के मामलों का विभाग)।

(b) "बॉण्ड" का मतलब है सेवानिवृत्त सैनिकों का बॉण्ड, राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून के प्रावधानों का पालन कर रहे इस अनुच्छेद के अनुरूप जारी किया गया, राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड।

(c) "बॉण्ड ऐक्ट" का मतलब है राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड्स के निर्गमन को मंजूरी देने वाला और संदर्भ के हिसाब से राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून का पालन करने वाला यह अनुच्छेद।

(d) "समिति" का मतलब है धारा 998.547 के अनुरूप स्थापित, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आवास वित्त समिति।

(e) "कोष" का मतलब है धारा 998.544 के अनुरूप स्थापित, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आवास निधि।

998.544. (a) उपखंड (b) में व्यक्त किये गये उद्देश्यों को पूरा किये जाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाली निधि प्रदान करने के लिए और सरकारी संहिता की धारा 16724.5 के अनुसार निधि केंद्रित सामान्य दायित्व बॉण्ड सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए कुल छह सौ मिलियन डॉलर (\$600,000,000) की राशि, या उसमें से जितनी राशि आवश्यक हो, जिसमें कोई बॉण्ड वापसी की राशि शामिल नहीं है, या उसमें से जितनी राशि आवश्यक हो, के बॉण्ड जारी किये जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। बेचे जाने पर, बॉण्ड्स स्टेट ऑफ़ California का एक वैध और बाध्यकारी दायित्व होंगे और दायित्व गठित करेंगे, स्टेट ऑफ़ California का पूर्ण विश्वास और साख को, मूलधन के रूप में बॉण्ड्स और उन पर देय ब्याज, दोनों के यथासमय भुगतान के लिए एतद्वारा गिरवी रखा जाता है।

(b) इस धारा के अनुसार जारी किये गये और बेचे गये बॉण्ड्स से प्राप्त धनराशियां वेटर्स हाउसिंग एंड होमलेस प्रिवेंशन बॉण्ड ऐक्ट ऑफ़ 2014 (अनुच्छेद 3.2 (धारा 987.001 से शुरू होकर)), और सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य के लिए बाद के किसी भी ऐसे वैधानिक अधिनियमन जो ऐक्ट को संशोधित करता हो या किसी भी उत्तराधिकारी ऐक्ट को अधिनियमित या संशोधित करता हो, के अनुसार सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को बहुपरिवार आवास प्रदान करने हेतु एक कोष बनाने के उद्देश्यों के लिए बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेंगी।

(c) विधानमंडल, कार्यक्रम की दक्षता, प्रभावकारिता, और जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए, या कार्यक्रम के समग्र लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिए समय-समय पर, बहुमत से, इस ऐक्ट के प्रावधानों में संशोधन कर सकता है।

(d) इस अनुच्छेद के अनुसार जारी किये गये और बेचे गये बॉण्ड्स से प्राप्त धनराशियां हाउसिंग फॉर वेटर्स फंड, जो एतद्वारा बनाया जाता है, में जमा की जायेंगी।

998.546. इस अनुच्छेद के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के डिविजन 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (धारा 16720 से शुरू होकर) ) में बताये अनुसार तैयार किये जायेंगे, निष्पादित किये जायेंगे, बेचे जायेंगे, भुगतान किये जायेंगे, और मुक्त किये जायेंगे, और सरकारी संहिता की धारा 16727 के उपखंड (a) और (b) को छोड़ कर उस कानून के सभी प्रावधान, बॉण्ड्स और इस अनुच्छेद के लिए लागू होंगे और वे

एतद्वारा इस अनुच्छेद में शामिल किये जाते हैं मानो वे पूरी तरह इसी अनुच्छेद में बताये गये हों।

998.547. केवल इस अनुच्छेद के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स के राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून के अनुसार निर्गमन और उनकी बिक्री को मंजूरी देने के उद्देश्य के लिए, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आवास वित्त समिति एतद्वारा बनायी जाती है। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आवास वित्त समिति राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून में प्रयुक्त शब्द के अनुसार "समिति" है। इस समिति में नियंत्रक, कोषाध्यक्ष, वित्त निदेशक, व्यापार, उपभोक्ता सेवायें, और आवास सचिव, और सेवानिवृत्त सैनिकों के मामलों के सचिव, या उनके निर्दिष्ट प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कोषाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। समिति के सदस्यों का बहुमत समिति के लिए काम कर सकता है।

998.548. समिति निर्धारित करेगी कि क्या धारा 998.544 में बताये गये कार्यों को पूरा करने के लिए इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकृत बॉण्ड्स जारी करना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं और, अगर ऐसा है, तो जारी किये जाने वाले और बेचे जाने वाले बॉण्ड्स की राशि। उन कार्यों को उत्तरोत्तर पूरा करने के लिए बॉण्ड्स के क्रमानुसार इश्यु अधिकृत किये जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि जारी किये जाने के लिए अधिकृत सभी बॉण्ड्स एक ही समय पर बेचे जायें।

998.549. राज्य की सामान्य राजस्व राशियों के अलावा, बॉण्ड्स के मूलधन, और उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि हर साल उसी ढंग में और उसी समय पर वसूल की जायेगी जैसे अन्य राजकीय राजस्व वसूल किया जाता है। कानून द्वारा राजस्व वसूली के सम्बन्ध में किसी भी काम के लिए निर्दिष्ट किये गये सभी प्रभारी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे उस अतिरिक्त राशि की वसूली करने के लिए आवश्यक हर कार्य का निष्पादन करें।

998.550. सरकारी संहिता की धारा 13340 के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए, राजकीय ट्रेजरी के सामान्य कोष से, निम्नलिखित के योग के बराबर राशि एतद्वारा विनियोजित की जाती है:

(a) इस अनुच्छेद के अनुसार जारी किये गये और बेचे गये बॉण्ड्स के मूलधन, और उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए वार्षिक रूप से आवश्यक राशि, जैसे ही मूलधन और ब्याज देय हो।

(b) धारा 998.551 के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि, वित्तीय वर्षों का लिहाज किये बिना विनियोजित।

998.551. इस अनुच्छेद को कार्यावित्त करने के उद्देश्यों के लिए, वित्त निदेशक सामान्य कोष से अधिकतम ऐसे अविक्रित बॉण्ड्स, जिन्हें इस अनुच्छेद को कार्यावित्त करने के उद्देश्य के लिए बेचे जाने के लिए समिति के द्वारा अधिकृत कर दिया गया हो, की राशि के बराबर धनराशि की निकासी अधिकृत कर सकता है। निकाली गयीं कोई भी धनराशियां कोष में जमा की जायेंगी। इस धारा के तहत उपलब्ध कराया गया कोई भी धन इस अनुच्छेद को कार्यावित्त करने के उद्देश्य के लिए बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त धनराशियों से सामान्य कोष को वापस कर दिया जायेगा।

998.552. कोष में जमा किया गया ऐसा समस्त धन जिसकी उत्पत्ति बेचे गये बॉण्ड्स पर ऐसे प्रीमियम और उपाजित ब्याज से हुई हो, जो बॉण्ड्स को जारी किये जाने की लागतों का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त प्रीमियम की राशि से अधिक हो, कोष में आरक्षित रहेगा और वह धन बॉण्ड ब्याज के खर्चों में क्रेडिट के रूप में सामान्य कोष में ट्रांसफर किये जाने के लिए उपलब्ध होगा।

41

998.553. सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के डिविजन 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (धारा 16720 से शुरू होकर) के अनुसार, बॉण्ड निर्गमन की समस्त लागत या उसका एक हिस्से का भुगतान बॉण्ड की बिक्री से प्राप्त धनराशियों से किया जा सकता है, इसमें बॉण्ड्स की बिक्री से उत्पन्न कोई प्रीमियम भी शामिल है। ये लागतें इस बॉण्ड ऐक्ट के माध्यम से वित्तपोषित हर कार्यक्रम के द्वारा अनुपातिक रूप में बांट दी जायेंगी।

42

998.554. इस अनुच्छेद को कार्यावित करने के उद्देश्यों के लिए सरकारी संहिता की धारा 16312 के अनुसार, बोर्ड अंतरिम वित्तपोषण के अन्य अधिकृत स्वरूपों सहित, जिनमें वाणिज्यिक पेपर शामिल है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं हैं, पूल्ड मनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड को पूल्ड मनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ऋण देने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस अनुरोध की राशि ऐसे अबिक्रित बॉण्ड्स की राशि से अधिक नहीं होगी, जिन्हें समिति ने, संकल्प के द्वारा, इस अनुच्छेद को कार्यावित करने के उद्देश्यों के लिए बेचे जाने के लिए अधिकृत कर दिया है। बोर्ड ऋण प्राप्त करने और उसे अदा करने के लिए पूल्ड मनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा आवश्यक कोई भी दस्तावेज निष्पादित करेगा। उधार दी गयीं कोई भी राशियां बोर्ड द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार आबंटित किये जाने वाले कोष में जमा की जायेंगी।

998.555. बॉण्ड्स सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के डिविजन 4 के भाग 3 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 6 (धारा 16780 से शुरू होकर) के अनुसार, वापस किये जा सकते हैं, जोकि राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून का हिस्सा है। इस अनुच्छेद में वर्णित बॉण्ड्स के निर्गमन के लिए राज्य के मतदाताओं द्वारा दी जाने वाली मंजूरी में इस अनुच्छेद के तहत मूल रूप से जारी किये गये कोई भी बॉण्ड्स को वापस करने के लिए जारी किये जाने वाले कोई भी बॉण्ड्स की मंजूरी शामिल है।

998.556. इस अनुच्छेद, या राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, कोषाध्यक्ष बॉण्ड की बिक्री से प्राप्त धनराशियों के निवेश के लिए और बिक्री से प्राप्त उन धनराशियों पर अर्जित आय के निवेश के लिए अलग अकाउंट रख सकता है। कोषाध्यक्ष बिक्री से प्राप्त उन धनराशियों या अर्जित आय का उपयोग संघीय कानून के तहत आवश्यक कोई भी छूट, जुर्माना, या अन्य भुगतान अदा करने या संघीय टैक्स कानून के तहत आवश्यक या वांछित बॉण्ड की बिक्री से प्राप्त उन धनराशियों के निवेश और उपयोग के सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही करने या इस राज्य की धनराशियों की ओर से संघीय कानून के तहत कोई अन्य फायदा लेने के लिए कर सकता है या उपयोग को निर्देशित कर सकता है।

998.557. विधानमंडल एतद्वारा जानता है और घोषित करता है कि, इस अनुच्छेद के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त धनराशियां "टैक्सों से प्राप्त धनराशियां" नहीं हैं जैसे वह शब्द California के संविधान के अनुच्छेद XIII B में प्रयोग किया गया है, इन धनराशियों का वितरण उस अनुच्छेद के द्वारा लगायी गयी पाबंदियों के आधीन नहीं है।

## प्रस्ताव 42

सिनेट संवैधानिक 2013-2014 नियमित सत्र का संशोधन 3 (संकल्प अध्याय 123, 2013 के अधिनियम) द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन California के संविधान को उसकी धाराओं में संशोधन करके स्पष्ट रूप से संशोधित करता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नये प्रावधानों को यह दर्शाने के लिए कि वे नये हैं तिरछे टाइप में छापे गये हैं।

## अनुच्छेद I के खंड 3 और अनुच्छेद XIII B के खंड 6 में प्रस्तावित संशोधन

पहला—कि अनुच्छेद I का खंड 3 यह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है: खंड 3. (a) लोगों को अपने प्रतिनिधियों को निर्देश देने, शिकायतों के निवारण के लिए सरकार को याचिका देने, और लोकहित के लिए स्वतंत्र रूप से इकट्ठा होने का अधिकार है।

(b) (1) लोगों को लोगों के कारोबार के संचालन से सम्बंधित जानकारी की सुलभता का अधिकार है, और, इसलिए, सार्वजनिक निकायों की बैठकें और सरकारी अधिकारियों व एजेंसियों के लेखन रिकॉर्ड सार्वजनिक जाँच के लिए खुले होंगे।

(2) किसी कानून, अदालती नियम, या अन्य प्राधिकार, जिनमें वे भी शामिल हैं जो इस उपखंड की प्रभावी तारीख पर प्रभावी हैं, का सुविस्तृत अर्थ लगाया जायेगा अगर वह लोगों के सुलभता के अधिकार को आगे बढ़ाता है, और उसका संकीर्ण अर्थ लगाया जायेगा अगर वह लोगों के सुलभता के अधिकार को सीमित करता है। इस उपखंड की प्रभावी तारीख के बाद अपनाया गया कोई ऐसा कानून, अदालती नियम, या अन्य प्राधिकार, जो सुलभता के अधिकार को सीमित करता हो, उस परिसीमा यानि पाबंदी के द्वारा संरक्षित हित और उस हित की रक्षा करने की ज़रूरत को दर्शाने वाले निष्कर्षों के साथ अपनाया जायेगा।

(3) इस उपखंड में कुछ भी खंड 1 के द्वारा गारंटीत निजता के अधिकार की जगह नहीं लेता है या उसे संशोधित नहीं करता है या किसी कानून, अदालती नियम, या अन्य प्राधिकार के निर्माण को उस हद तक प्रभावित नहीं करता है कि यह निजता के उस अधिकार की रक्षा करे, इसमें किसी पीस ऑफिसर के आधिकारिक प्रदर्शन या व्यावसायिक योग्यताओं से सम्बन्धित खोज या जानकारी के प्रकटीकरण को नियंत्रित करने वाली कोई भी वैधानिक कार्यविधियां शामिल है।

(4) इस उपखंड में कुछ भी इस संविधान के किसी भी प्रावधान की जगह नहीं लेता है या उसे संशोधित नहीं करता है, जिसमें ऐसी गारंटियां भी शामिल हैं कि किसी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता, या सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, या उसे कानूनों के समान संरक्षण से इंकार नहीं किया जा सकता है, जैसा खंड 7 में बताया गया है।

(5) यह उपखंड स्पष्ट रूप से या आशय के द्वारा, सार्वजनिक रिकॉर्ड या सार्वजनिक निकायों की बैठकों की सुलभता के किसी भी ऐसे संवैधानिक या सांविधिक अपवाद को निरस्त नहीं करता या उसे अमान्य घोषित नहीं करता जो इस उपखंड की प्रभावी तारीख पर प्रभावी हो, जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, कानून प्रवर्तन और अभियोजन रिकॉर्ड की गोपनीयता की रक्षा करने वाला कोई भी कानून।

(6) इस उपखंड में कुछ भी राज्य के कानून के अनुच्छेद IV के खंड 7 या उन प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए अपनाये गये वैधानिक नियमों के द्वारा प्रदत्त विधानमंडल, विधानमंडल के सदस्यों, और उसके कर्मचारियों, समितियों, और गुटों की कार्यवाही और रिकॉर्ड की गोपनीयता के संरक्षणों को निरस्त नहीं करता, अमान्य घोषित नहीं करता, उनकी जगह नहीं लेता, या उन्हें संशोधित नहीं करता; ना ही यह विधानमंडल, विधानमंडल के सदस्यों, और उसके कर्मचारियों, समितियों, और गुटों के विचार-विमर्श के सम्बन्ध में न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही में अनुमत खोज के दायरे को प्रभावित करता है।

(7) पैराग्राफ (1) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार, सार्वजनिक निकायों की बैठकों और सरकारी अधिकारियों व एजेंसियों के लेखन रिकॉर्ड की सार्वजनिक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए, हर स्थानीय एजेंसी के लिए एतद्वारा *California* सार्वजनिक रिकॉर्ड ऐक्ट (सरकारी संहिता के शीर्षक 1 के डिविजन 7 के अध्याय 3.5 (धारा 6250 से शुरू होकर) और *Ralph M. Brown* ऐक्ट (सरकारी संहिता के शीर्षक 5 के डिविजन 2 के भाग 1 के (अध्याय 9 (धारा 54950 से शुरू होकर), तथा इसके बाद का या तो उत्तराधिकारी ऐक्ट का अधिनियम करने वाला ऐक्ट, या किसी भी ऐसे उत्तराधिकारी ऐक्ट में संशोधन करने वाला ऐक्ट जिसमें यह प्रदर्शित करने वाले निष्कर्ष शामिल हों कि यह सांविधिक अधिनियमन इस धारा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।

दूसरा—कि अनुच्छेद XIII B का खंड 6 यह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

खंड 6. (a) जब कभी भी विधानमंडल या कोई राज्य एजेंसी किसी स्थानीय सरकार पर कोई नया कार्यक्रम या उच्चतर स्तर की सेवा का जनादेश देती है, तो राज्य उस कार्यक्रम या सेवा के बढ़े हुए स्तर की लागतों के लिए उस स्थानीय सरकार की प्रतिपूर्ति करने के लिए धनराशियों का अनुदान प्रदान करेंगे, सिवाय इसके कि विधानमंडल निम्नलिखित जनादेशों के लिए धनराशियों का अनुदान प्रदान कर सकता है, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है:

- (1) स्थानीय एजेंसी द्वारा मांगे गये विधायी जनादेश से प्रभावित।
- (2) किसी नये अपराध को परिभाषित करता हुआ या किसी अपराध की मौजूदा परिभाषा को बदलता हुआ कानून।
- (3) विधायी जनादेश जनवरी 1, 1975 से पूर्व अधिनियमित हो, या शुरुआत में कानून को लागू करने वाले कार्यकारी आदेश अथवा विनियम जनवरी 1, 1975 से पूर्व अधिनियमित हों।
- (4) अधिनियमों में शामिल विधायी जनादेश अनुच्छेद I के खंड 3 के उपभाग (b) के पैराग्राफ (7) के दायरे में हो।

(b) (1) जैसा पैराग्राफ (2) में दिया गया है, को छोड़ कर, 2005-06 वित्तीय वर्ष और उसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे जनादेश के लिए जिसके लिए कानून के अनुसार राज्य द्वारा देय दावेदार स्थानीय सरकार की लागतें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारित की जा चुकी हैं, विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित ढंग में, या तो ऐसी पूरी देय राशि, जिसका पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है, को वार्षिक बजट ऐक्ट में विनियोजित करेगा, या उस वित्तीय वर्ष के लिए जनादेश के संचालन को निलम्बित करेगा, जिसके लिए वार्षिक बजट ऐक्ट लागू होता है।

(2) 2004-05 वित्तीय वर्ष से पूर्व खर्च की गयीं लागतों के लिए देय दावों जिनका भुगतान 2005-06 वित्तीय वर्ष से पूर्व नहीं किया गया है, का भुगतान, कानून द्वारा निर्धारित वर्षों में किया जा सकता है।

(3) किसी नये कार्यक्रम या उच्चतर स्तर की सेवा की लागतों की किसी स्थानीय सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए यथामूल्य सम्पत्ति कर राजस्व राशियों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(4) उपखंड किसी जनादेश के लिए केवल तभी लागू होता है जब यह किसी शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, या विशेष डिस्ट्रिक्ट को प्रभावित करता हो।

(5) उपखंड किसी भी स्थानीय सरकार के कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी, या किसी भी स्थानीय सरकार के कर्मचारी संगठन को कोई भी कार्यविधि सम्बंधी या मूलभूत सुरक्षा, अधिकार, लाभ, या रोजगार की स्थिति को प्रदान करने ता स्वीकार करने के लिए किसी ऐसी आवश्यकता के लिए लागू नहीं होगा, जो स्थानीय सरकार के रोजगार से पैदा होती हो, प्रभावित करती हो, या सीधे उसके भविष्य, वर्तमान, या अतीत से सम्बंध रखती हो और जो इस खंड के आधीन जनादेश गठित करती हो।

(c) आदेशित नये कार्यक्रम या उच्चतर स्तर की सेवा में विधानमंडल के द्वारा किसी ऐसे आवश्यक कार्यक्रम के लिए पूरी या आंशिक वित्तीय जिम्मेदारी का राज्य से शहरों, काउंटियों, शहरों और काउंटियों, या विशेष डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफर शामिल है जिसके लिए पूर्व में पूरी या आंशिक वित्तीय जिम्मेदारी राज्य के पास थी।